भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2557
8 अगस्त, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

महाराष्ट्र में हस्तशिल्प तथा हथकरघा क्षेत्रों का विकास

2557. श्री राजकुमार धूत:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में हस्तशिल्प तथा हथकरघा के पुनरूद्घार, संवर्धन तथा विकास के लिए कोई रूपरेखा बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हो तथा सरकार ऐसी रूपरेखा को तैयार करने के प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित करने का विचार रखती है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री अजय टम्टा)

(क)और(ख) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य सहित देशभर में हथकरघा आर हस्तशिल्प के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

(i) हथकरघा क्षेत्र:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) (निम्नलिखित घटकों के साथ)
   - (i) ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर
   - (ii) हथकरघा विपणन सहायता
   - (iii) रियायती ऋण/ बुनकर मुद्रा योजना
   - (iv) हथकरघा संगणना
2. व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)
3. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस)
4. यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)

उपरोक्त योजनाओं के तहत कच्चे माल, करघे व सहायक सामान की खरीद, डिजाइन नवोन्मेष, उत्पाद विविधीकरण, आधारभूत संरचना, कौशल उन्नयन, हथकरघा उत्पादों के विपणन, रियायती दरों पर ऋण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

(ii) हस्तशिल्प क्षेत्र:

1. राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) (निम्नलिखित घटकों के साथ)
   - (i) अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) के तहत दस्तकार शक्तिकरण
   - (ii) डिज़ाइन और तकनीकी उन्नयन (डीटीयू)
   - (iii) मानव संसाधन विकास (एचआरडी)
   - (iv) कारीगरों को सीधे लाभ (डीबीए)

(v) अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता (आईटीएस)

(vi) अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी)

(vii) विपणन सहायता एंव सेवाएं (एमएसएस)

2. व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) (निम्नलिखित घटकों के साथ)

(i) मेगा क्लस्टर (एमसी)

(ii) एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं संवर्धन के तहत विशेष परियोजनाएं

महाराष्ट्र राज्य में पिछले चार वर्षों में हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं: –

(i) 11 हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्लस्टर स्वीकृत किए गए ।

(ii) हथकरघा उत्पादों के संवर्धन हेतु 49 विपणन आयोजन स्वीकृत किए गए ।

(iii) बुनकर मुद्रा योजना के तहत 3.43 करोड़ रुपये की ऋण राशि के साथ 490 ऋण स्वीकृत किए गए ।

(iv) हथकरघा उत्पादों जैसे पैठणी साड़ी तथा फैब्रिक, सोलापुर चद्दर को भौगोलिक संकेतन अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया ।

(v) स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 1687 लाभार्थियों और महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) के तहत 3397 लाभार्थियों का पंजीयन किया गया ।

(vi) यार्न आपूर्ति योजना के तहत मिल गेट कीमत पर 29.24 करोड़ रुपये के 1.00 लाख किग्रा. यार्न की आपूर्ति की गई और 10% यार्न सब्सिडी के तहत 22.79 करोड़ रुपये के 0.83 लाख किग्रा. यार्न की आपूर्ति की गई ।

(vii) राज्य में बुनकरों को यार्न की आपूर्ति करने हेतु 03 यार्न डिपो चल रहे हैं ।

(viii) 7-17 अक्टूबर, 2017 और 19 -24 फरवरी, 2018 के दौरान राज्य में 23 हस्तकला सहयोग शिविर विभिन्न हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्लस्टरों में आयोजित किए गए हैं, ताकि हथकरघा बुनकरों एवं हस्तशिल्प कारीगरों के लिए मुद्रा ऋण, यार्न पासबुक, करघे और सहायक सामान प्राप्त करने, एनआईओएस और इग्नू पाठ्यक्रम के लिए पंजीयन कराने आदि को सुविधाजनक बनाया जा सके ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

*****